HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 5221/2026

1. Sakir S/o Ali Mohammad, R/o Village Dhimri, Police Station Pahadi, District Deeg (Raj.).
2. Arif S/o Ali Mohammad, R/o Village Dhimri, Police Station Pahadi, District Deeg (Raj.).
3. Vakeel @ Vakka S/o Kasam, R/o Village Dhimri, Police Station Pahadi, District Deeg (Raj.).
4. Sabir S/o Kasam, R/o Village Dhimri, Police Station Pahadi, District Deeg (Raj.).
5. Aalam S/o Asru, R/o Village Jhandipur, Police Station Pahadi, District Deeg (Rajasthan).
6. Asib @ Kala S/o Akbar, R/o Village Jhandipur, Police Station Pahadi, District Deeg (Rajasthan).
7. Mustak S/o Karim, R/o Village Jhandipur, Police Station Pahadi, District Deeg (Rajasthan).
8. Mustfa S/o Tayyab, R/o Village Jhandipur, Police Station Pahadi, District Deeg (Rajasthan).

----Petitioners

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Vikram Singh Chauhan
For Respondent(s) : Mr. Devi Singh, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

16/04/2026

प्रार्थीगण–अभियुक्तगण की ओर से धारा 482 बी. एन. एस. एस. के प्रावधानों के अन्तर्गत पुलिस थाना **पहाड़ी जिला–डीग** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **338/2023** अपराध अन्तर्गत धारा **147, 149, 332, 353, 336, 333 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3 पीडीपीपी** में अग्रिम जमानत का लाभ दिये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

बहस सुनी गई। प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि उन्हें प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि इस मामले में कुल 21 लोगों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में केवल एक पुलिसकर्मी की उंगली पर चोट आना पाया गया है। उनका तर्क है कि प्रार्थीगण–अभियुक्तगण से हिरासत में जांच की आवश्यकता नहीं है तथा वे अनुसंधान में भाग लेने के लिए तत्पर है। ऐसे में प्रार्थीगण–अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जावे।

इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त पर धारा 147, 149, 332, 353, 336, 333 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3 पीडीपीपी का अभियोग है। मामले में अभी अनुसंधान चल रहा है। प्रार्थीगण–अभियुक्तगण की हिरासत में जांच की आवश्यकता है। अतः उनकी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे।

हमने तर्क–वितर्क पर मनन किया। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा उनके अधिवक्ता के इस आश्वासन को ध्यान में रखते हुए कि प्रार्थीगण–अभियुक्तगण अनुसंधान में भाग लेकर उसमें सहयोग करने के लिए तत्पर है, प्रार्थीगण–अभियुक्तगण को निर्देश दिया जाता है कि वे दिनांक 27.4.2026 तक अनुसंधान अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अनुसंधान में भाग ले। अनुसंधान अधिकारी आवश्यक अनुसंधान कर आगामी सुनवाई तिथि पर केस डायरी मय तथ्यात्मक रिपोर्ट न्यायालय में पेश करें।

पत्रावली दिनांक 8.5.2026 को सूचीबद्ध की जावे, तब तक इस प्रकरण में प्रार्थीगण–अभियुक्तगण की गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाती है। प्रार्थीगण–अभियुक्तगण के दिनांक 27.4.2026 तक अनुसंधान अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं होने की स्थिति में यह अन्तरिम आदेश स्वतः निरस्त समझा जावे।

(SHUBHA MEHTA),J

JITENDRA SINGH PANWAR /75